न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रार्थना पत्र विविध/43/2018

1–परमसुख । पिसरान स्व0 चिरंजी जाति कोली निवासी समराया तहसील वैर
2–बाबूलाल । जिला भरतपुर

.....प्रार्थीगण

बनाम

1–तहसीलदार वैर जिला भरतपुर
2–गोमादेवी पत्नी घीसा
3–मोहनदेई
4–चन्दा देवी
5–नर्वदा
6–संतोष
} पुत्रीयॉ घीसा
7–डालचंद
8–महेशचंद
9–लागुर
10–रजनसिंह
} पिसरान घीसा

} जाति कोली निवासी समराया तहसील वैर, जिला भरतपुर

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 399 भू–राजस्व अधिनियम नियम 1957

उपस्थित :–
1–श्री पंकज कुमार, अभिभाषक अपीलान्टस,
2–श्री दुलीचन्द शर्मा अभिभाषक,रेस्पो.2,3,4,6,7,9
3–पैरोकार सरकार रेस्पो–1

निर्णय दिनांक 17.10.2025

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्व रेस्पो0 बाबत आराजी खसरा नम्बर 267/113 ग्रांम मोरदा में हुये इन्द्राजों को दुरुस्त कर प्रार्थीगण का नाम अप्रार्थी के साथ वहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा के रुप में दर्ज किये जाने हेतु अन्तर्गत नियम 399 भू–राजस्व अधिनियम नियम 1957 पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. की तलबी की गई। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार भरतपुर से रिपोर्ट तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 5, 8, 10 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आये हैं। तहसीलदार भरतपुर के पत्रांक/एलआर/24/1559 दिनांक 01.05.24 से प्राप्त रिपोर्ट शामिल मिसिल की गई। उपस्थित योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

........2

जिला कलक्टर
भरतपुर

योग्य अभिभाषक प्रार्थी का कहना है कि उसके प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को ही बहस शुमार किया जावे।

प्रार्थी0 ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 267/113 रकवा 3 बीघा 13 विस्वा ग्राम मोरदा प्रार्थी व अप्रार्थीगण की पैत्रिक आराजी है। सम्वत् 2061 में जो इन्द्राज अप्रार्थीगण के पिता/पति स्व0 घीसाराम के नाम दर्ज किये गये वे बिना किसी सक्षम आदेश अथवा नामान्तकरण के किये गये हैं, लैण्ड रिकार्ड ऑफीसर होने के नाते श्रीमान को राजस्थान भू-राजस्व नियम 1959 के तहत ऐसे इन्द्राज को दुरुस्त करने का अधिकार है। प्रार्थीगण ने अन्त में निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 267/113 ग्रांम मौरदा में हुये इन्द्राजों को दुरुस्त कर प्रार्थीगण का नाम अप्रार्थीगण के साथ वहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा के रुप में दर्ज किये जाने की प्रार्थना की गई है।

योग्य अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस में बताया कि विचाराधीन प्रकरण क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। यह प्रकरण प्रार्थना अन्तर्गत नियम 399 से सम्बन्धित नहीं है। अगर इन्हें अपने हक हकूकों को तय कराना है तो सक्षम न्यायालय में जाना चाहिये। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

पैरोकार सरकार अप्रार्थी संख्या-1 का कहना है कि प्रकरण विवादित आराजी में हक हकूको को लेकर दुरस्ती के अन्तर्गत पेश किया गया है, जो गलत है अगर इन्हें विवादित आराजी में अपने हक हकूकों को लेकर कोई विवाद है तो सक्षम न्यायालय में तय कराना चाहिये था ना कि इन्द्राज दुरस्ती का प्रार्थना पेश करके। विवादित आराजी गत खसरा नम्बर 267/113 रकवा 3 बीघा 13 विस्वा जिसका हाल खसरा नम्बर 143/0.59 बनाया गया है जिस पर जरिये नामान्तकरण 430 दिनांक 27.5.2015 विरासत घीस्या के स्थान पर गोमादेवी पत्नि घीस्या मोहनदेई वगे. राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर मनन किया गया। तहसीलदार भरतपुर से प्राप्त रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। तहसीलदार भरतपुर ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट करते हुये अंकित किया है कि गत आराजी खसरा नम्बर 267/113 रकवा 3 बीघा 13 विस्वा से हाल खसरा नम्बर 143 रकवा 0.59 पर मुताबिक जमाबन्दी 2069-72 के खाता संख्या 92 पर गैरखातेदारी घीस्या के नाम दर्ज है जिसमें नामान्तकरण संख्या 430 दिनांक 27.5.2015 द्वारा विरासत/हक त्याग से घीस्या के स्थान पर गोमादेवी पत्नि घीस्या वगै0 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी0 ने जिस प्रकार अपने प्रार्थना पत्र में रिलीफ चाही गई है वह विवादित आराजी में अपने हक हकूकों को लेकर है जो भू-राजस्व अधिनियम नियम 1957 के नियम नियम 399 की परिभाषा

......3

जिला कलक्टर
भरतपुर

में नहीं आती है, इसके लिये विधि में पृथक से प्रावधान दिये गये हैं। प्रार्थीगण को अपने हक हकूको को तय कराने के लिये सक्षम न्यायालय में वाद दायर करना चाहिये था। अस्तु प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र भू–राजस्व अधिनियम के नियम 1957 के नियम 399 चलने योग्य नही होने से खारिज किये जाने के काबिल रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र भू–राजस्व अधिनियम नियम 1957 नियम 399 खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर